रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082020-220823
CG-DL-E-04082020-220823
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2227] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2020/श्रावण 8, 1942
No. 2227] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2020/SHRAVANA 8, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2020

का.आ. 2521(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, अतिरिक्त उपायुक्त पुलवामा सी/ओ: जिला कलेक्टर कार्यालय (उपायुक्त पुलवामा कश्मीर) (एन एच-444) के कि.मी 9.45 से 14.3 जम्मू और कश्मीर राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन एच-444 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलवामा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH444 के कि.मी. 9.45 से 14.3 तक	जम्मू और कश्मीर	पुलवामा	पुलवामा	1 बोनुरा

[फा. सं. PCD/LA/444/0001]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2020

S.O. 2521(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 9.45 to 14.3 of Additional Deputy Commissioner Pulwama C/O: Office of the District Collector (Deputy Commissioner Pulwama Kashmir) (NH-444) in the State of JAMMU & KASHMIR.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-444 in the State of JAMMU & KASHMIR.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional Deputy Commissioner Pulwama	9.45KM To 14.3KM	JAMMU & KASHMIR	PULWAMA	Pulwama	1 Bonura

[F. No. PCD/LA/444/0001]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA